कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ–15 (1) 2015/कार्मिक भर्ती/प्रमुवसं–14455–8174109 दिनांकः
निमित्

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/ कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त / ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी. जयपुर।
3. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान,जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर ।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर) /मुकन्दरा (कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा/एफ.पी.आर.पी. जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर/मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।

विषयः– दिव्यांगजन कार्मिकों की दिव्यांगता के पुनः परीक्षण की कार्यवाही कराने के सम्बंध में।

सन्दर्भः–शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 08(5)कार्मिक/ख–1/2020–24088–6963921 जयपुर, राजकाज रेफरेंस नं. 17448714 दिनांक 28.08.2025 एवं शासन उप सचिव, वन विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.12 (9)वन/2019–00321 जयपुर राजकाज रेफरेंस नं. 18141307 दिनांक 06.10.2025 तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक **राजकाज रेफरेंस नं.** 17565929 **दिनांक** 04.09.2025 के क्रम मे।

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें। उक्त में अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के पत्र क्रमांक 5597 दिनांक 20.09.2025 की प्रति सलंग्न कर पुनः लेख है कि आप स्वंय तथा अपने अधिनस्थ कार्यालय में पदस्थिापित दिव्यांगजन कार्मिकों की दिव्यांगता के पुनः परीक्षण की कार्यवाही सक्षम/प्राधिकृत राजकीय मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड से नियमानुसार करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकरण में राजकीय सेवा हेतु दिव्यांगता के निर्धारित मानक में कमी पायी जाती है या गलत प्रमाण पत्र जारी/प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, तो उसके संबंध में दोषी कार्मिक के विरूद्व कार्यवाही करने व अनियमितता के संबंध में उस कार्मिक की सूचना इस कार्यालय की ई–मेल आईडी dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in पर अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

सलंग्नः–उक्तानुसार। भवदीय,

पी॰के॰उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ–15 (1) 2015/कार्मिक भर्ती/प्रमुवसं–14455–8174109 दिनांकः

प्रतिलिपि :– शासन उप सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally Signed by P.K. Upadhyaya
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :08-10-2025 06:04:29

RajKaj Ref No.: 18206579

eSign DSC

राजस्थान सरकार
कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर (राजस्थान)
Ph.No.0141-2565647/2518203 E.mail ms.smshospital@gmail.com

क्रमांक एफ2(09)सामान्य शाखा/समाचि/2025/-5597 दिनांक -20/9/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

विषयः— दिव्यांगजन कार्मिकों/अधिकारियों की दिव्यांगता के पुनः परीक्षण के संबंध में।
संदर्भः— आपका पत्रांक एफ.20( )कार्मिक/प्रमुवसं/2024—25/07056 पार्ट 6 दिनांक 15.09.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में दिव्यांगजन कार्मिकों/अधिकारियों की दिव्यांगता के पुनः परीक्षण के संबंध में इस चिकित्सालय के कार्यालय दिव्यांगजन बोर्ड, समाचि, जयपुर से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 1906 दिनांक 19.09.2025 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त अधीक्षक

कार्मिक
25/9/25
3408
25/9/25

497
7/10

राजस्थान सरकार
कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक
सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर
5566 सामान्य शाखा अनुभाग
क्रमांक/सामान्य/समाचि/20 दिनांक 19/9/25
मूल ही ~~मय संलग्न सहित~~
नोडल अधिकारी, दिव्यांगजन बोर्ड, समाचि. जयपुर
को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त अधीक्षक
सवाई मानसिंह चिकित्सालय
जयपुर

क्रमांक - 1906 दिनांक - 19/9/25

मूल ही यथा प्राप्त चिकित्सा अधीक्षक समाचि जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण के संबंध में जयपुर संभाग से संबंधित ~~अभ्य~~ अभ्यर्थियों की लिस्ट भिजवाई जावे जिससे मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा सके। साथ ही अन्य संभाग से संबंधित अभ्यर्थियों का दिव्यांगता मेडिकल सत्यापन उनके संभाग स्तर पर करवाया जावे।

NODAL OFFICER
DISABILITY BOARD
S.M.S. HOSPITAL